

Form No. III
फर्द—अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

मुकाम **चित्तौड़गढ़**

रियाज खान

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

किस्म मुकदमा अपील (सूचना का अधिकार)	नं० 041	सन् 2023
--	----------------	-----------------

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2023	<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी रियाज खान निवासी टाल एरिया पानी की टंकी के पास निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को आवेदन दिनांक 03.03.2023 प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। यहाँ उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा अपने अपील में अलग-अलग अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दिनांक 03.03.2023 जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किया गया है, एवं अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील आवेदन दिनांक 28.03.2023 को प्रेषित किया गया जो कि इस न्यायालय को दिनांक 31.03.2023 को प्राप्त हुआ है। अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में प्रावधित किया गया है कि धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से, किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराएगा। यहाँ अधिनियम 2005 के तहत आवेदन के निपटारा के लिए निर्धारित समय-सीमा आवेदन प्राप्ति से 30 दिवस है। इसके साथ ही अधिनियम 2005 की धारा 19(1) में प्रावधित किया गया है कि धारा 7 की उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है तो अपील कर सकेगा। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 6(1) के तहत आवेदन दिनांक 03.03.2023 लोक सूचना अधिकारी को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किया गया है। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह भी अवगत नहीं कराया गया कि लोक सूचना अधिकारी को उक्त आवेदन किस तिथी को प्राप्त हुआ है। ऐसी आवेदन के निपटारा के लिये अधिनियम 2005 में निर्धारित समय-सीमा का अवसान नहीं होना पाया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 03.03.2023 बाबत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील असामयिक है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील ग्रहण योग्य नहीं है, अतः हस्तगत यह प्रथम ग्रहण योग्य नहीं होने से एडमिशन स्तर पर खारीज की जाती है एवं न्यायालय हित में अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है, अधिनियम 2005 में प्रावधित समय-सीमा के व्यतीत होने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत कराने के लिये अपीलार्थी स्वतंत्र है।</p> <p>अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्दाज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावे।</p>	

-S/D-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी

जिला कलक्टर

चित्तौड़गढ़

04.04.2023

